
BIHAR
INDIA NON JUDICIAL
Rs 750
भारत
सात सौ पचास रुपये
SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

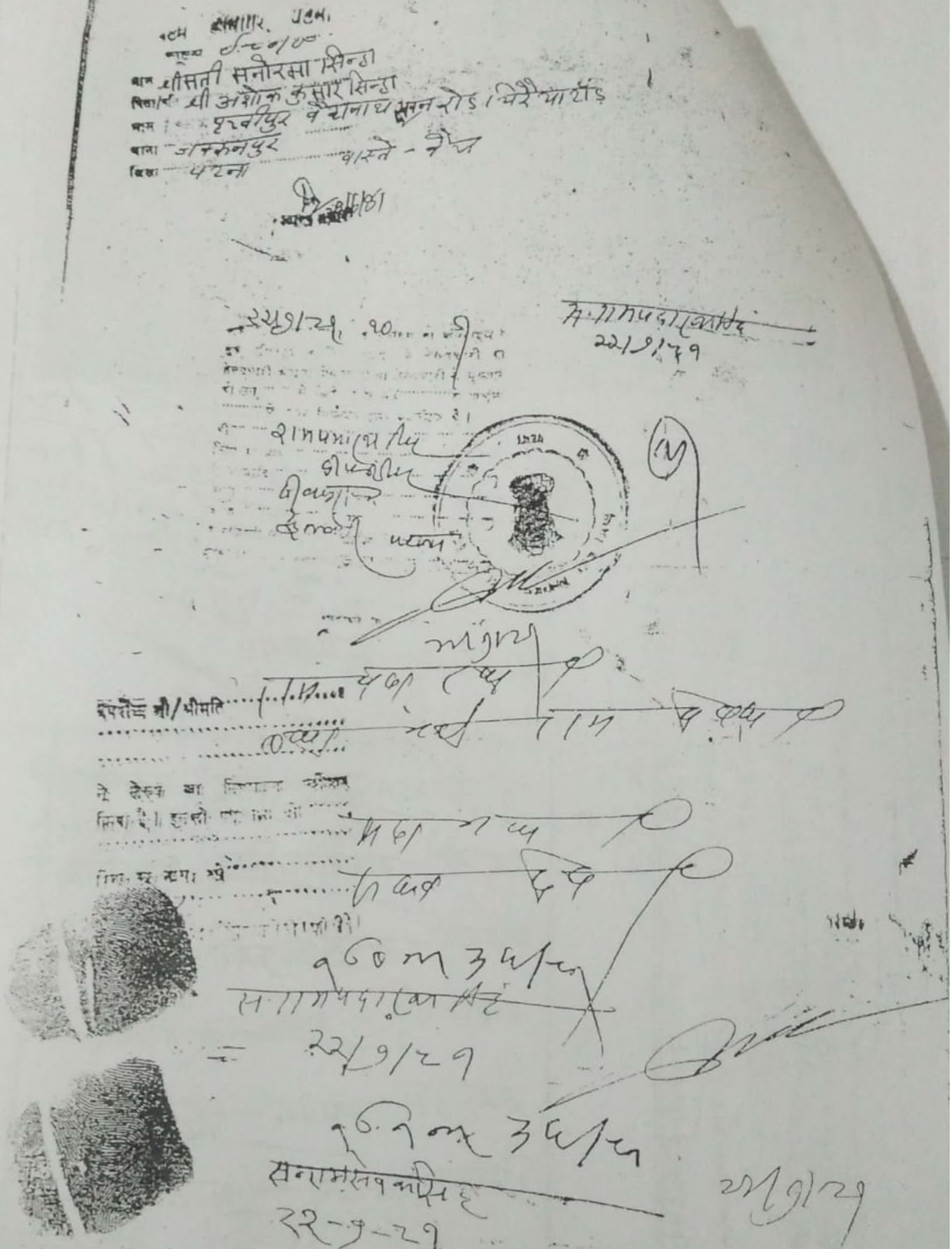



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

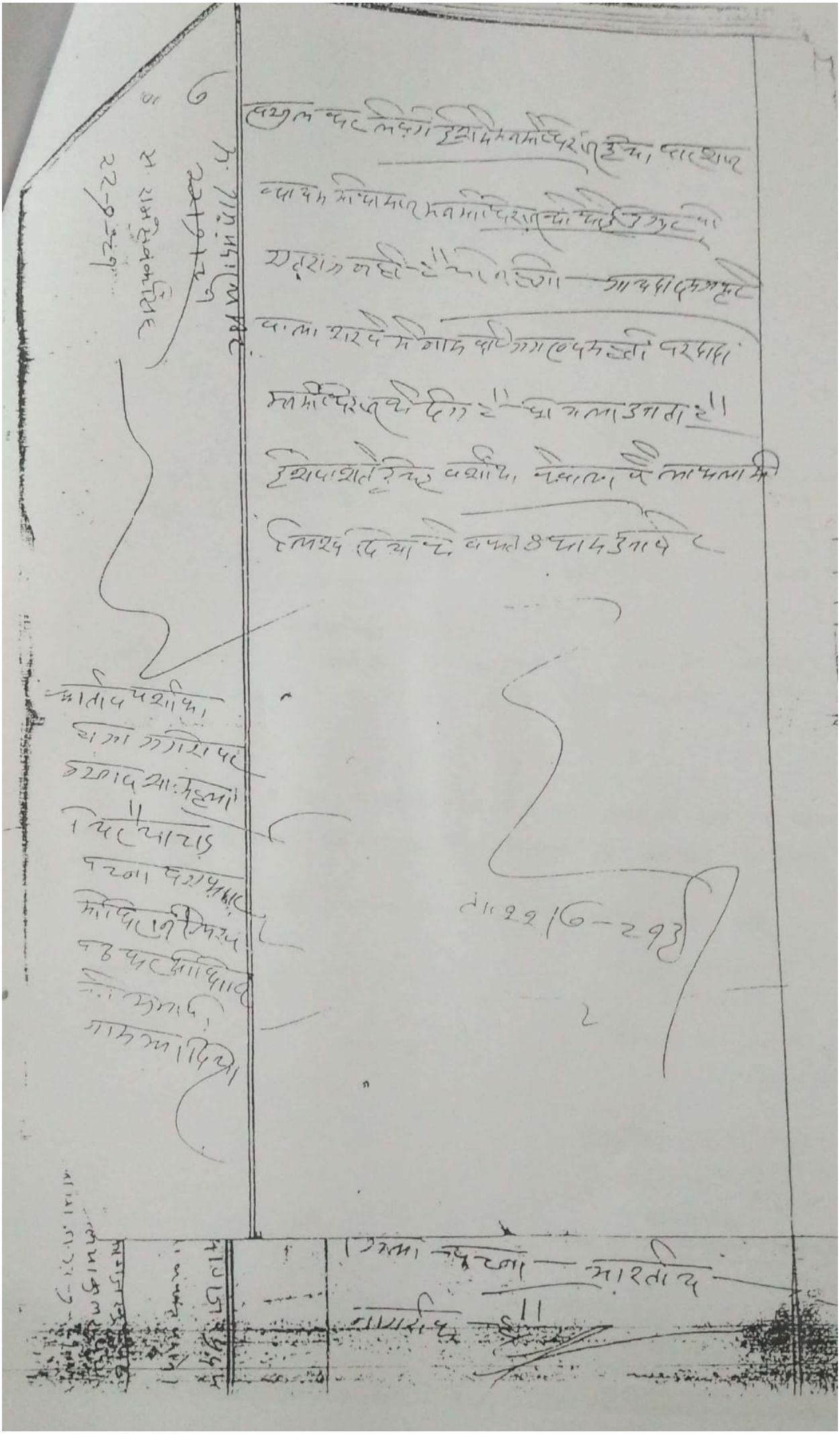

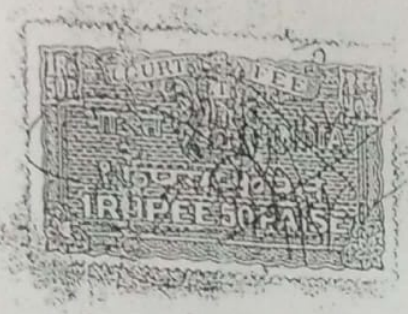



नकल वाजापता आदेश फलक कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन
दा० खा० केस नम्बर (४७२/८) ८४/८५, ३८(ए)/८५-८६

— आदेश फलक
शिविर न्यायालय अंचलाधिकारी फुलवारी शरीफ पटना
दा० खा० केस नम्बर (४७२/८) ८४/८५ ३८(ए) ८५/८६

२।१०।८४ श्रीमती मनोरमा सिन्हा जी० अशोक कुमार सिन्हा ग्राम पृथ्वीपुर बंधनाथ भवन पो० रोड चिड़ैयागढ़ — थाना जक्कनपुर जिला पटना में निम्नलिखित जमीन पर जिसका विवरण नीचे अंकित है का दाखिल खारिज अपने नाम से कराने हेतु आवेदन पत्र दिया है आवेदक ने बजरिये वसीका नं० ४६२० दिनांक १०।८।८१ द्वारा प्राप्त किया है

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खसरा नं०	एराजी	लगान
शेखपुरा	१११	८	३१५	१५ ½ गी०	रु० ५०

आवेदन पत्र का अवलोकन किया। मूल आवेदन पत्र का संबंधित हल्का कर्मचारी के पास अं० निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन देने हेतु भेज दें।

अभिलेख दिनांक ३०।११।८४ को उपस्थापित करें।

ह० अस्पष्ट
१७।११।८४
अंचल अधिकारी फुलवारी
शरीफ पटना

6/5/98
लिखा

तुलसीकर्ता

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि
प्रधानलिपिक,
विनिमय एवं १८०१ की धारा ७१ के तहत प्राधिकृत

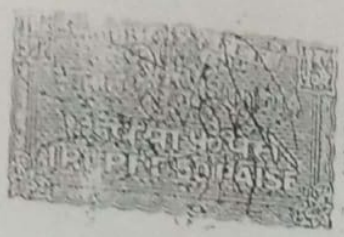



[illegible]/[illegible] कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो [illegible] अवकाश में हो
[illegible] अभिलेख दिनांक १४/१२/८४ को प्रस्तुत करें।

[illegible]
सं० अ०

[illegible]/१२/८४ कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो अभिलेख दिनांक ४/१/८५
को प्रस्तुत करें।

[illegible]
१४/१२/८४
सं० अ०

[illegible]/१/८५ कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो अभिलेख दिनांक [illegible]
को प्रस्तुत करें।

[illegible]
४/१/८५
सं० अ०

[illegible]/१/८५ कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो [illegible] दिनांक [illegible]
को प्रस्तुत करें।

[illegible]
[illegible]/१/८५

[illegible]/१/८५ कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। अभिलेख दिनांक [illegible]
प्रस्तुत करें।

[illegible]
[illegible]/१/८५
सं० अ०

[illegible]/२/८५ कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है अभिलेख दिनांक २५/२
को प्रस्तुत करें।

[illegible]
११/२/८५
सं० अ०

[illegible]/२/८५ कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। अभिलेख दिनांक १६/३/८५
प्रस्तुत करें।

[illegible]
सं० अ०

[illegible]/३/८५ कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है अभिलेख दिनांक [illegible]
को प्रस्तुत करें।

[illegible]
सं० अ०

[illegible]/३/८५ [illegible] प्रतिवेदन प्राप्त है अभिलेख [illegible]
प्रस्तुत करें।

[illegible]
सं० अ०

[illegible]

[illegible]

प्रमाणित

[illegible]

[illegible]

नियम इन १८०१ की धारा ७६ के अधीन प्रमाणित

Scanned by CamScanner

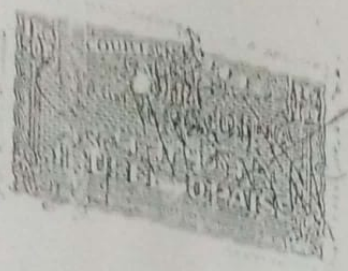

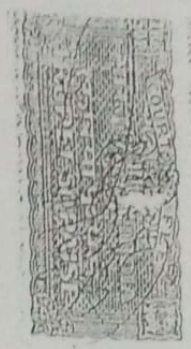

चारिल स्वारीत्व प्रतिवेदन

अंचल - शेरघाटी
थाना नं॰ - १११
थाना - फुलवारी शरीफ
जिला - पटना

स्वीकृत का प्रकार - नगवा लघुसिंगी
जिला रा॰ - ४८,३०
निबंधन - २५/७/८१
क्षेत्रफल - १८,०००/ (दस हजार)

कार्यालय : परिमंडल पूर्व अमीन का विवरण

जमा॰ सं॰	रैयत का नाम एवं पता	खाता	खेसरा	रकबा	दाग	
३४	बोधन सिंह एकल वेद परिषद बोधन सिंह ग्राम - कोनुडीह थाना - फुलवारीशरीफ पटना	२	६४	१.४०	६०/११	नगवा लघुसिंगी
			१९४	०.०४		
			२१४	०.८०	अलावे	
			४४१	०.८६	३७५	
			३०४	०.७४		
			४८१	०.०८		
			४८१	०.२८		
			४८१	०.४४		
			४४०	०.४४		
			४०४	०.१२		
			१३८	०.४८		
			१३१	१.२६		
				२.०४		

चारिल स्वारीत्व के बाद बचा नगवा दाग

२	६४		६०/११	
	१९४			
	२१४			
	४४१		अलावे	
	३१४		३७५	
	४६१			
	४८१			
	४८१			
	४४०			
	४०४			
	१३८			
	१३१	१.४३½		

	नगवा		
	३१८	०.१४½	२.४०

ग्राम : लिखेना खुर्द
थाना - फुलवारी शरीफ
जिला - पटना

अमीन द्वारा स्थल
पर जाने दिन अमीन का नाम
एवं सिग्नेचर के साथ
दर्शित निक्रज पत्र के अनुसार
डी॰ पी॰ जी॰ लिखेना खुर्द
स्थित स्थान का नाम एवं खिसरे
अमीन पर आवेदक का
कब्जा प्राप्त हो
चुका है।

ग्राम : लिखेना खुर्द
थाना - फुलवारी शरीफ
जिला - पटना

आवेदक द्वारा दाखिल
नक्शा मांग किया जाए।
अब अमीन द्वारा लिखेना
नगवा के खास खिसरा नं॰ का
जो आम नेचर एवं रकबा
बोध सिंह को प्राप्त
कराने बाद चारिल
स्वारीज की रिपोर्ट
ही जा सकती है।

प्रतिवेदन पुनः प्रस्तुत
की जा सकती है

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

Scanned by CamScanner

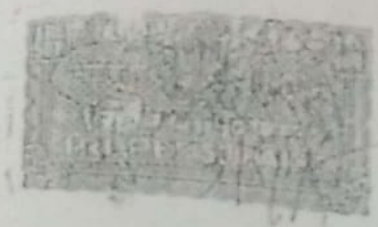

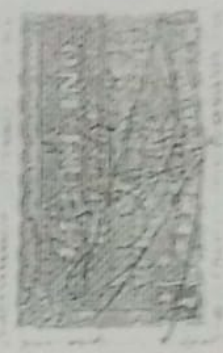

नोखेलाल का मामला अभिलेख प्राप्त हुआ। मौके अपील खारिज की
जाय हैं।

अभिलेख मंगा उपस्थापित किया जाय। मौका जांचकर्ता के प्रतिवेदन
के आधार पर तैयार निर्णय करें। दिनांक ०४-०४ को उपस्थापित
करें।

आवेदन का दृष्टिकोण शीघ्र करें। आवेदन दिनांक ०४।०४ को
प्रस्तुत करें।

मौके का मामला प्राप्त हुआ। मौके अपील खारिज की हुआ। अभिलेख
का अवलोकन किया। आवेदक अनुपस्थित है। कोई आवेदन
प्रस्तुत नहीं किया गया।

सक्षम न्यायालय उपस्थापित की जाती है।

अभिलेख के साथ आवेदिका का पुनर्विचार हेतु आवेदन उपस्थापित
किया गया है। आवेदिका की लगातार अनुपस्थिति के कारण
इस वाद की कार्यवाही स्थगित की गई थी। आवेदिका की ओर
से अपने पक्ष में कहा गया कि वो अमानत ईमत से सो दीवान सिंह
के दोनों पुत्रों से उनकी जमीन खरीदी है एवं दूसरे अमानत
अंतर्गत खसरा नंबर [illegible] का परिवाद [illegible] कराया है
अनेक कर्मचारी के प्रतिवेदन से जानकारी प्राप्त हुई है कि आवेदित भूमि
पर आवेदिका का कब्जा नहीं है। आवेदिका के नाम
नामांतरण की स्वीकृति नहीं जाती है। अतः पक्ष निर्णित करें।

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि

पटवारी

पटवारी

पटवारी

सच्चिदानन्द प्रसाद

(अमीन)

ग्राम - कामता चक
पो० - मितन चक
जिला - पटना
रजिस्ट्रेशन नं० - 38005

अमीन प्रमाण पत्र

खाता नं० 8 प्लॉट नं० 315 का भाग

तौजी नं० 28 थाना नं० 111

एरजी 5 - 00 - 32 मौजा शेखपुरा

स्थल चित्र :

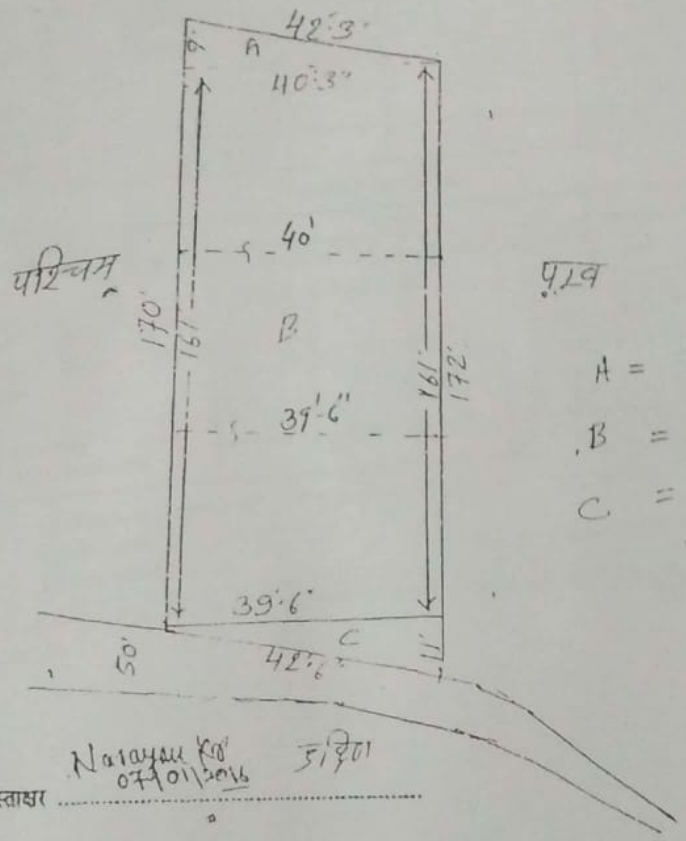

A = 181' 1½"
B = 6409 10"
C = 217 3"
6808 2½

खरीददार का हस्ताक्षर .....

बेचने वाले का हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर सच्चिदानन्द प्र०

दिनांक 7/01/2016

द्वारा विजय कुमार
(अमीन)
7/1/2016

Scanned by CamScanner

WITHOUT PREJUDICE

Sch. XIV.— .60 V

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल; नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर

V

वि०स०मु० पटना। X

फरद मालकी / फरद रैयती। 90

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी। वो सकुनत। नम्बर।

खाता 08

खेसरा 315

00151101

507

सम्पत चक्र	शेखपुरा III	श्रीमती मनोरमा सिंहा	

अराजी नगदी

अराजी भावली — पर तफसील हिसाब लगान भावली।

0.15½ डी०	अशोक कुमार सिन्हा	

जोत का सालाना माग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजुदा साल का।

2013-14 माग बाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल- (नकदी)	3.00				12.00	3.00
गुजारी (भावली)	0.75				3.00	0.75
सेस	1.50				6.00	1.50
*सुद	1.50				6.00	1.50
मुतफरकात	0.60				2.40	0.60
मीजान	7.35				29.40	7.35

तफसील अदायकारी।

2013-14 अदायकारी बाबत	बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल- (नकदी)				12.00	3.00	
गुजारी (भावली)				3.00	0.75	
सेस				6.00	1.50	
*सुद				6.00	1.50	
मुतफरकात				2.40	0.60	
मीजान अदायकारी				29.40	7.35	= 36.75

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — छत्तीस रुपया - पच्छत्तर - पैसा मात्र

(2) नाम देहिन्दा — स्वयं

(3) कुल बकाया — 0

दरखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

दि.स.मु.(राजस्व) 1-2011

Scanned by CamScanner